

विद्युत मंत्रालय
मांग संख्या 74
विद्युत मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2015-2016			बजट 2016-2017			संशोधित 2016-2017			बजट 2017-2018		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	7863.27	1352.96	9216.23	10817.17	3721.82	14538.99	8871.21	2480.67	11351.88	11102.46	3708.40	14810.86
वसूलियां	-1189.71	-76.83	-1266.54	-1955.50	-232.50	-2188.00	-674.81	-102.84	-777.65	-807.00	-122.72	-929.72
प्राप्तियां	-214.83	...	-214.83	-98.28	...	-98.28	-98.28	...	-98.28
निवल	6458.73	1276.13	7734.86	8763.39	3489.32	12252.71	8098.12	2377.83	10475.95	10295.46	3585.68	13881.14
क. वसूलियों और प्राप्तियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	29.86	...	29.86	35.57	...	35.57	38.16	...	38.16	40.35	...	40.35
2. सांविधिक प्राधिकारियों												
2.01 केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण	82.50	0.61	83.11	96.54	3.50	100.04	110.25	3.50	113.75	115.91	1.23	117.14
2.02 संघ राज्य क्षेत्रों तथा गोवा के लिए जेईआरसी की स्थापना	5.70	...	5.70	6.81	...	6.81	6.81	...	6.81	7.19	...	7.19
2.03 बिजली के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण	9.23	...	9.23	10.97	...	10.97	11.21	...	11.21	12.05	...	12.05
2.04 नियामकों के फोरम	0.89	...	0.89	1.00	...	1.00	0.60	...	0.60
2.05 सीईआरसी निधि	34.96	...	34.96	55.50	...	55.50	55.50	...	55.50	57.00	...	57.00
2.06 घटाएं- सीईआरसी द्वारा दी गई राशि	-34.96	...	-34.96	-55.50	...	-55.50	-55.50	...	-55.50	-57.00	...	-57.00
2.07 जेईआरसी मणिपुर और मिजोरम	0.01	...	0.01
जोड़- सांविधिक प्राधिकारियों	98.32	0.61	98.93	115.32	3.50	118.82	128.88	3.50	132.38	135.15	1.23	136.38
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	128.18	0.61	128.79	150.89	3.50	154.39	167.04	3.50	170.54	175.50	1.23	176.73
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
संरक्षण एवं ऊर्जा दक्षता												
3. ऊर्जा संरक्षण योजनाएं												
3.01 ऊर्जा संरक्षण	54.82	...	54.82	100.00	...	100.00	50.62	...	50.62	50.54	...	50.54
दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना												
4. दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना	4500.00	...	4500.00	3000.00	...	3000.00	3350.00	...	3350.00	4814.00	...	4814.00
एकीकृत विद्युत विकास योजना												
5. एकीकृत विद्युत विकास योजना												

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2015-2016			बजट 2016-2017			संशोधित 2016-2017			बजट 2017-2018		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
5.01 आईपीडीएस अनुदान	333.73	...	333.73	2918.72	...	2918.72	2943.37	...	2943.37	3321.22	...	3321.22
5.02 आईपीडीएस ऋण	...	667.82	667.82	...	2581.28	2581.28	...	1580.64	1580.64	...	2500.00	2500.00
जोड़- एकीकृत विद्युत विकास योजना	333.73	667.82	1001.55	2918.72	2581.28	5500.00	2943.37	1580.64	4524.01	3321.22	2500.00	5821.22
पावर सिस्टम्स का सुदृढीकरण												
6. पावर सिस्टम्स का सुदृढीकरण												
6.01 स्मार्ट ग्रिड	1.32	...	1.32	30.00	...	30.00	10.00	...	10.00	30.00	...	30.00
6.02 हरित ऊर्जा कॉरिडोर	0.10	0.10	...	0.10	0.10	...	75.00	75.00
6.03 राष्ट्रीय विद्युत कोष के लिए ब्याज सस्मिडी	7.00	...	7.00	25.00	...	25.00	9.00	...	9.00	10.00	...	10.00
6.04 डिस्कॉम के कर्ज पुनर्गठन के लिए वित्तीय सहायता	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
6.05 पावर सिस्टम ऑपरेशन कंपनी (पोसोको)	81.21	81.21	...	81.21	81.21	...	40.00	40.00
6.06 कारगिल के माध्यम से श्रीनगर से लेह दौ सो वीस केवी ट्रांसमिशन लाइन	...	250.00	250.00	...	250.00	250.00	...	250.00	250.00	...	250.00	250.00
6.07 पूर्वोत्तर राज्यों में बिजली व्यवस्था में सुधार, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम को छोड़कर (कार्यक्रम घटक)	197.33	...	197.33	124.00	...	124.00	41.00	...	41.00	95.00	...	95.00
6.08 पूर्वोत्तर राज्यों में बिजली व्यवस्था में सुधार, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम को छोड़कर (ईएपी घटक)	50.00	...	50.00	110.00	...	110.00	37.00	...	37.00	84.00	...	84.00
6.09 अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम राज्यों में पारेषण प्रणाली का सुदृढीकरण	150.00	...	150.00	273.00	...	273.00	255.26	...	255.26	193.00	...	193.00
6.10 मूल्यांकन अध्ययन एवं परामर्श हेतु निधि	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
6.11 पावर सेक्टर के लिए विस्तृत पुरस्कार योजना	0.17	...	0.17	0.54	...	0.54	0.54	...	0.54
6.12 जम्मू एवं कश्मीर पारेषण एवं वितरण नेटवर्क से संबंधित मूल्य वृद्धि पीएमआरपी दो हजार चार	130.00	...	130.00	65.00	...	65.00
6.13 वास्तविक वसूली	-4.01	...	-4.01
<i>निवल</i>	401.81	250.00	651.81	562.56	331.31	893.87	482.82	331.31	814.13	477.00	365.00	842.00
पावर सिस्टम डेवलपमेंट फंड												
7. पावर सिस्टम डेवलपमेंट फंड												
7.01 पावर सिस्टम डेवलपमेंट फंड को अंतरण	1150.74	...	1150.74	1900.00	...	1900.00	619.31	...	619.31	750.00	...	750.00
7.02 पावर सिस्टम के विकास के लिए योजना	175.00	...	175.00	400.00	...	400.00	219.31	...	219.31	500.00	...	500.00
7.03 गैस आधारित उत्पादन क्षमता का उपयोग	975.74	...	975.74	1500.00	...	1500.00	400.00	...	400.00	250.00	...	250.00
7.04 घटाएं- पावर सिस्टम डेवलपमेंट फंड से प्राप्त राशि	-1150.74	...	-1150.74	-1900.00	...	-1900.00	-619.31	...	-619.31	-750.00	...	-750.00
<i>निवल</i>	1150.74	...	1150.74	1900.00	...	1900.00	619.31	...	619.31	750.00	...	750.00
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	6441.10	917.82	7358.92	8481.28	2912.59	11393.87	7446.12	1911.95	9358.07	9412.76	2865.00	12277.76
केन्द्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
8. प्रशिक्षण और अनुसंधान												
8.01 केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान	37.28	...	37.28	125.00	...	125.00	65.79	...	65.79	150.00	...	150.00
8.02 राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान	30.00	...	30.00	40.40	...	40.40	40.40	...	40.40	57.20	...	57.20

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2015-2016			बजट 2016-2017			संशोधित 2016-2017			बजट 2017-2018		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
जोड़- प्रशिक्षण और अनुसंधान	67.28	...	67.28	165.40	...	165.40	106.19	...	106.19	207.20	...	207.20
9. संरक्षण और ऊर्जा दक्षता												
9.01 ऊर्जा दक्षता व्यूरो (कार्यक्रम घटक)	35.00	...	35.00	63.29	...	63.29	60.04	...	60.04	49.00	...	49.00
9.02 ऊर्जा दक्षता व्यूरो (ईएपी घटक)	2.00	...	2.00	0.71	...	0.71	0.59	...	0.59	1.00	...	1.00
जोड़- संरक्षण और ऊर्जा दक्षता	37.00	...	37.00	64.00	...	64.00	60.63	...	60.63	50.00	...	50.00
जोड़-स्वायत्त निकाय	104.28	...	104.28	229.40	...	229.40	166.82	...	166.82	257.20	...	257.20
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम												
10. सीपीएसयू को सहायता												
10.01 नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड	...	300.00	300.00	...	367.00	367.00	...	367.00	367.00	...	400.00	400.00
10.02 टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन (टीएचडीसी)	...	30.00	30.00	...	40.00	40.00	...	40.00	40.00	...	52.00	52.00
10.03 दामोदर घाटी निगम	0.10	0.10
10.04 नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (नीपको)	...	27.70	27.70	...	166.13	166.13	...	55.38	55.38	...	267.45	267.45
10.05 बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10
	-214.83	...	-214.83	-98.28	...	-98.28	-98.28	...	-98.28
<i>निवल</i>	<i>-214.83</i>	<i>...</i>	<i>-214.83</i>	<i>-98.18</i>	<i>...</i>	<i>-98.18</i>	<i>-98.18</i>	<i>...</i>	<i>-98.18</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>
10.06 चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को अनुदान के रूप में जम्मू और कश्मीर पीएमडीपी 2015 के तहत पाकुल डुल हाइड्रोपावर हेतु केंद्रीय सहायता भारत सरकार द्वारा पूरी तरह से सेवित बांड जारी ब्यज और ब्याज (पीएफसी बांड)	409.12	...	409.12	100.00	...	100.00
10.07	7.20	...	7.20	350.00	...	350.00
जोड़- सीपीएसयू को सहायता	-214.83	357.70	142.87	-98.18	573.23	475.05	318.14	462.38	780.52	450.00	719.45	1169.45
11. एनटीपीसी के लिए कोयला क्षेत्रों का अधिग्रहण												
11.01 कोयला असर क्षेत्रों का अधिग्रहण	...	76.83	76.83	...	232.50	232.50	...	102.84	102.84	...	122.72	122.72
11.02 कम वसूली	...	-76.83	-76.83	...	-232.50	-232.50	...	-102.84	-102.84	...	-122.72	-122.72
<i>निवल</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>
जोड़-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	-214.83	357.70	142.87	-98.18	573.23	475.05	318.14	462.38	780.52	450.00	719.45	1169.45
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	-110.55	357.70	247.15	131.22	573.23	704.45	484.96	462.38	947.34	707.20	719.45	1426.65
कुल जोड़	6458.73	1276.13	7734.86	8763.39	3489.32	12252.71	8098.12	2377.83	10475.95	10295.46	3585.68	13881.14
ख. विकास शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												
1. विद्युत	6428.87	...	6428.87	7871.04	...	7871.04	7436.71	...	7436.71	9250.96	...	9250.96
2. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	29.86	...	29.86	35.57	...	35.57	38.16	...	38.16	40.35	...	40.35
3. विद्युत परियोजनाओं पर पूंजी परिव्यय	...	307.31	307.31	...	374.91	374.91	...	374.81	374.81	...	418.23	418.23
4. विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण	...	968.82	968.82	...	2751.19	2751.19	...	1584.84	1584.84	...	2555.00	2555.00
जोड़-आर्थिक सेवाएं	6458.73	1276.13	7734.86	7906.61	3126.10	11032.71	7474.87	1959.65	9434.52	9291.31	2973.23	12264.54

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2015-2016			बजट 2016-2017			संशोधित 2016-2017			बजट 2017-2018		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
अन्य												
5. पूर्वोत्तर क्षेत्र	856.78	...	856.78	623.25	...	623.25	1004.15	...	1004.15
6. पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजी परिव्यय	166.13	166.13	...	55.38	55.38	...	267.45	267.45
7. पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए ऋण	197.09	197.09	...	362.80	362.80	...	345.00	345.00
जोड़-अन्य	856.78	363.22	1220.00	623.25	418.18	1041.43	1004.15	612.45	1616.60
कुल जोड़	6458.73	1276.13	7734.86	8763.39	3489.32	12252.71	8098.12	2377.83	10475.95	10295.46	3585.68	13881.14

(₹ करोड़)

	बजट सहायता			आं. ब. बा. सं.			जोड़			बजट सहायता			आं. ब. बा. सं.			जोड़		
	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़			
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश																		
1. नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड	...	25737.59	25737.59	...	30000.00	30000.00	...	30000.00	30000.00	...	28000.00	28000.00	...	28000.00	28000.00			
2. नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड	300.00	2492.92	2792.92	367.00	3590.72	3957.72	367.00	2736.25	3103.25	400.00	2689.36	3089.36	...	2167.15	2167.15			
3. दामोदर वैली कारपोरेशन लिमिटेड	...	1934.80	1934.80	0.10	3302.57	3302.67	...	1362.54	1362.54	...	2167.15	2167.15	...	1068.00	1068.00			
4. नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड	27.70	1308.85	1336.55	166.13	890.91	1057.04	55.38	1686.41	1741.79	267.45	1293.80	1561.25	...	1662.61	1714.61			
5. सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड	...	697.07	697.07	...	1000.00	1000.00	...	600.00	600.00	...	1068.00	1068.00	...	25000.00	25000.00			
6. टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	30.00	1060.60	1090.60	40.00	1399.37	1439.37	40.00	1684.46	1724.46	52.00	1662.61	1714.61			
7. पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	...	22584.00	22584.00	...	22500.00	22500.00	...	24000.00	24000.00	...	25000.00	25000.00			
8. पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड	5000.00	5000.00	...	5000.00	5000.00			
जोड़	357.70	55815.83	56173.53	573.23	67683.57	68256.80	462.38	67069.66	67532.04	719.45	61880.92	62600.37			

सहायता देने, तकनीकी मानकों, सुरक्षा अपेक्षाओं, ग्रिड मानकों के साथ ही साथ, देश में विद्युत क्षेत्र में लगने वाले मीटरों की स्थापना के लिए शर्तों को निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी है।

1. **सचिवालय:** विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत विद्युत मंत्रालय के सचिवालय के लिए स्थापना संबंधी मामलों पर व्यय के लिए है।

2.01. **केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण:** केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) एक सांविधिक संगठन के रूप में विद्युत क्षेत्र की समग्र आयोजना, समन्वय, जल विद्युत स्कीमों को सहमति प्रदान करने, परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने और उनको समय से पूरा करने में

2.02. **संघ राज्य क्षेत्रों तथा गोवा के लिए जेईआरसी की स्थापना:** केंद्र सरकार ने दिल्ली को छोड़कर गोवा एवं सभी संघ राज्यक्षेत्रों के लिए एक संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (जेईआरसी) का गठन किया है। संयुक्त आयोग के व्यय का वहन केंद्र सरकार और गोवा सरकार द्वारा 6:1 के अनुपात में किया जाएगा।

2.03. **बिजली के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण:** विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अंतर्गत केन्द्र सरकार ने विद्युत अपीलीय अधिकरण का गठन किया है। यह विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत न्याय निर्णयन अधिकारी अथवा उपयुक्त आयोगों के आदेशों के विरुद्ध की गई अपीलों की सुनवाई करता है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत, एप्टेल उस अधिनियम के लिए अपीलीय अधिकरण है।

2.04. **नियामकों के फोरम:** प्रावधान के क्षमता निर्माण के लिए नियामकों और परामर्श सेवाओं का लाभ उठाने के लिए है।

3.01. **ऊर्जा संरक्षण:** (1) जन साधारण के लिए प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और अन्य मीडिया माध्यमों से ऊर्जा संरक्षण संबंधी जागरूकता लाने के लिए निधियों का उपयोग। (2) ऊर्जा संरक्षण पर ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार एवं चित्रकला प्रतियोगिताएं जारी रखने हेतु। (3) नेशनल मिशन फॉर इन्हेंड एनर्जी एफिसिएंसी (एनएमईईई) को कार्यान्वित करने और (4) निवेशों का मार्ग खोलने के लिए ऊर्जा दक्षता के लिए बाजार तैयार करने और उसे स्थिर बनाने के लिए प्रयासों को बढ़ाने हेतु भी निधि का उपयोग किया जाएगा।

4. **दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना:** भारत सरकार ने एक नई योजना दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) शुरू की है जिसका उद्देश्य (क) कृषि और गैर-कृषि संबंधी उपभोक्ताओं को आपूर्ति की विवेकपूर्ण रोस्ट्रिंग में डिस्कॉमों की सुविधा के लिए कृषि और गैर-कृषि फीडरों को अलग करना (ख) ग्रामीण क्षेत्रों में उप-पारेषण एवं वितरण अवसंरचना का सुदृढीकरण और संबर्द्धन और (ग) ग्रामीण विद्युतीकरण करना है। इस योजना के अंतर्गत शामिल किए गए कार्यों में फीडर पृथक्करण, नए सब-स्टेशन बनाना, माइक्रो ग्रिड और ऑफ ग्रिड वितरण नेटवर्क का प्रावधान, एचटी/एलटी लाइनें, सब-स्टेशनों का संबर्द्धन और सभी स्तरों पर मीटरिंग शामिल है। स्कीम के अंतर्गत भारत सरकार स्कीम के कार्यान्वयन के लिए डिस्कॉमों को अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। निजी क्षेत्र डिस्कॉमों सहित सभी डिस्कॉम स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं। पूर्ववर्ती आरजीजीवीवाई को ग्रामीण विद्युतीकरण घटक के रूप में डीडीयूजीजेवाई में शामिल किया गया है।

5.01. **आईपीडीएस अनुदान:** इस योजना का उद्देश्य उपभोक्ताओं को 24x7 घंटे विद्युत की आपूर्ति, एटी एंड सी हानियों में कमी और सभी घरों को विद्युत पहुँच उपलब्ध कराना है। स्कीम में तीन मुख्य घटक अर्थात् शहरी क्षेत्रों में उप-पारेषण और वितरण प्रणाली का सुधार, मीटरिंग और चालू आर-एपीडीआरपी योजना जिसे आईपीडीएस के अंतर्गत शामिल कर दिया गया है, के अंतर्गत वितरण क्षेत्र में आईटी को सक्षम बनाना शामिल है, आर-एपीडीआरपी में दो मुख्य घटक हैं। भाग क में सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित ऊर्जा लेखा तथा परियोजना क्षेत्रों में सत्यापन योग्य बेसलाइन एटी एंड सी हानि स्तरों को अंतिम रूप देने वाली लेखा परीक्षा प्रणाली की शुरूआत हेतु परियोजनाएं शामिल हैं। भाग ख में हानि स्तर में कमी लाने वाले वितरण नेटवर्क सुदृढीकरण निवेशों पर विचार किया जाता है। इस योजना में अनुदान और ऋण घटक दोनों हैं।

6.01. **स्मार्ट ग्रिड:** इस स्कीम में "राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रिड मिशन" को शुरू करके संस्थागत तंत्र की स्थापना की परिकल्पना की गई है जोकि ऑटोमेशन, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों की आवश्यकता को पूरा करेगी जो उत्पादन बिन्दु से उपभोग बिन्दु तक विद्युत प्रवाह की निगरानी कर सकती है और विद्युत प्रवाह का नियंत्रण या वास्तविक समय आधार पर उत्पादन के अनुरूप भार की कमी सुनिश्चित करता है।

6.02. **हरित ऊर्जा कॉरिडोर:** इस स्कीम में विद्युत प्रणाली की सुरक्षा और स्थायित्व पर समझौता किए बिना नवीकरणीय उर्जा उत्पादन को अधिकतम करने और मुख्य ग्रिड के साथ एकीकरण करने का प्रस्ताव है।

6.03. **राष्ट्रीय विद्युत कोष के लिए ब्याज सब्सिडी:** आरजीजीवीवाई तथा आर-एपीडीआरपी स्कीमों (जो क्रमशः डीडीयूजीजेवाई तथा आईपीडीएस में समाहित की गई हैं) परियोजना क्षेत्रों द्वारा शामिल न किए गए क्षेत्रों के लिए, वितरण नेटवर्क को सुधारने के लिए सार्वजनिक तथा निजी, दोनों ही क्षेत्रों की वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्स) को संवितरित किए जाने वाले ऋणों पर ब्याज सब्सिडी प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय विद्युत निधि (एन.ई.एफ.) की स्थापना की जा रही है।

6.05. **पावर सिस्टम ऑपरेशन कंपनी (पोसोको):** पोसोको में पीजीसीआईएल द्वारा वर्तमान में धारित शेयरों के अधिग्रहण के लिए पोसोको को विद्युत मंत्रालय के अधीन स्वतंत्र सरकारी कंपनी के रूप में स्थापित करने के लिए प्रावधान।

6.06. **कारगिल के माध्यम से श्रीनगर से लेह दौ सी बीस केवी ट्रांसमिशन लाइन:** आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने 2.1.2014 को आयोजित अपनी बैठक में, जम्मू एवं कश्मीर (जे एंड के) में एलुस्टांग (श्रीनगर) से लेह (बरास्ता ट्रास, कारगिल एवं खलस्ती 220/66 पीजीसीआईएल उपकेंद्र) तक 220 केवी पारेषण प्रणाली के निर्माण तथा ट्रास, कारगिल, खलस्ती और लेह उपकेंद्रों के लिए 66 पीजीसीआईएल अंतर संयोजन प्रणाली के निर्माण के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है।

6.07. **पूर्वोत्तर राज्यों में बिजली व्यवस्था में सुधार, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम को छोड़कर (कार्यक्रम घटक):** विश्व बैंक छह पूर्वोत्तर राज्यों अर्थात् असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा एवं नागालैंड के लिए उक्त नई परियोजना के लिए वित्त पोषण करेगा (डीईए तथा योजना आयोग के परामर्श पर, संवेदनशील सीमा क्षेत्रों अर्थात् अरुणाचल प्रदेश एवं सिक्किम की परियोजनाओं को विश्व बैंक के वित्त पोषण से अलग रखा गया था)। अतः सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश की अंतः-राज्य पारेषण एवं वितरण परियोजनाओं को भारत सरकार की बजटीय सहायता के माध्यम से कार्यान्वित करने के लिए अलग कर दिया गया है।

6.09. **अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम राज्यों में पारेषण प्रणाली का सुदृढीकरण:** सिक्किम सहित संपूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र में पारेषण, उप-पारेषण तथा वितरण प्रणाली के सुदृढीकरण की व्यापक स्कीम की संकल्पना की जा चुकी है। इस परियोजना को विश्व बैंक की सहायता से आंशिक रूप से वित्तपोषित किया जा रहा है।

6.12. **जम्मू एवं कश्मीर पारेषण एवं वितरण नेटवर्क से संबंधित मूल्य वृद्धि पीएमआरपी दो हजार चार:** यह प्रधानमंत्री विकास पैकेज का भाग है। परियोजना प्रधानमंत्री पुनर्गठन पैकेज (पीएमआरपी)-2004 के अंतर्गत अनुमोदित पारेषण एवं वितरण नेटवर्क से संबंधित परियोजना को पूरा किए जाने के लिए अभिचिन्हित है।

7.01. **पावर सिस्टम डेवलपमेंट फंड को अंतरण:** स्कीम में अनुदानों के माध्यम से आंशिक वित्तपोषण द्वारा वर्तमान वितरण एवं पारेषण अवसंरचना के सुदृढीकरण (गैर-गैस घटक) (ख) स्ट्रैंडिड गैस आधारित विद्युत संयंत्रों (गैस घटक) से विद्युत खरीदकर डिस्कॉमों के लिए, सब्सिडी के प्रावधान की परिकल्पना की गई है।

8.01. **केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान:** केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, बंगलौर, इलेक्ट्रिकल पावर के क्षेत्र में अनुप्रयुक्त अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय प्रयोगशाला के रूप में सेवाएं प्रदान करता है और परीक्षण, मूल्यांकन और वैद्युत उपकरण और घटकों के सत्यापन के लिए भी स्वतंत्र प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है।

8.02. **राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान:** राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान विद्युत स्थलों के प्रचालन एवं अनुरक्षण सहित विद्युत क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षण देने का कार्य करता है।

9.01. **ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (कार्यक्रम घटक):** बीईई को घरेलू प्रकाश व्यवस्था, वाणिज्यिक भवनों, उपस्करों का मानकीकरण और लेबलीकरण, कृषि अथवा नगरपालिकाओं में मांग पक्ष प्रबंधन, उप क्षेत्रों के लिए ऊर्जा खपत मानकों के विकास की प्रक्रियाकी शुरुआत सहित एसएमई तथा बड़े उद्योग, एसडीए, डिस्कॉम इत्यादि का क्षमता निर्माण सरकार द्वारा की गई इन पहलों से ऊर्जा खपत की दक्षता बढ़ेगी और ऊर्जा खपत की वृद्धि दर कम होगी।

10.01. **नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड:** एनएचपीसी लिमिटेड की स्थापना सन् 1975 में केन्द्रीय क्षेत्र में जल विद्युत परियोजनाओं के त्वरित, दक्ष और किफायती निष्पादन एवं प्रचालन को ध्यान में रखते हुए कम्पनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत की गई थी। एनएचपीसी भारत सरकार की अनुसूची क (मिनी रत्न) का एक उद्यम है। पूंजी परिव्यय चटक हाइड्रोपावर/नीमू बाजो हेतु निधियों की अंशतः पूर्ति करने के लिए है।

10.02. **टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन (टीएचडीसी):** टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार का एक संयुक्त उद्यम है। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच इक्विटी की हिस्सेदारी 3:1 के अनुपात में है। कंपनी को भागीरथी घाटी में 2400 मेगावाट टिहरी हाइड्रो पावर काम्प्लेक्स तथा अन्य जल विद्युत परियोजनाओं के विकास, प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिये जुलाई 1988, में निगमित किया गया था। पूंजी परिव्यय विष्णुगढ़ पीपलकोटी हाइड्रोपावर पर व्यय को अंशतः पूरा करने के लिए है।

10.04. **नार्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (नीपको):** नार्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड (नीपको), जो कि विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत दिनांक 2 अप्रैल 1976 को स्थापित अनुसूची 'क' मिनिरत्न कम्पनी है, का उद्देश्य विद्युत परियोजनाओं के योजनाबद्ध विकास तथा चालू करने के माध्यम से देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र पर विशेषबल देते हुए भारत और विदेश में विद्युत क्षमता का विकास करना है। इससे देश के समग्र विकास और विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास को बढ़ावा मिलेगा। यह पूंजीगत परिव्यय आवश्यकताओं के अनुसार कामेंग हाइड्रोपावर पर होने वाले व्यय को कुछ हद तक पूरा करने के लिए है।

10.06. **चिनाव वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को अनुदान के रूप में जम्मू और कश्मीर पीएमडीपी 2015 के तहत पाकुल दुल हाइड्रोपावर हेतु केंद्रीय सहायता:** यह प्रधानमंत्री जम्मू एवं कश्मीर विकास पैकेज 2015 का भाग है। सहायता चिनाव वैली पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के साथ संयुक्त उद्यम के माध्यम से कार्यान्वित पकलदुल परियोजना के लिए है।

10.07. **भारत सरकार द्वारा पूरी तरह से सेवित बांड जारी व्यय और ब्याज (पीएफसी बांड):** पीएफसी द्वारा अवसंरचना बांड पर देय ब्याज, बांड जारी करने और संबंधित खर्चों के लिए अपेक्षित है।